



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

गैंगस्टर अधिनियम में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर आरोपी भोला उर्फ राजवीर को हुई 06 वर्ष के कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त भोला उर्फ राजवीर पुत्र मिठुनलाल निवासी जावली थाना लोनी जनपद गाजियाबाद के विरुद्ध थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 553/2007 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 14.02.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त भोला उर्फ राजवीर को दोषी पाते हुए 06 वर्ष के कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

 @baghpatpolice

 baghpatpolice

 Baghpat Police





प्रेस नोट
थाना बिनौली

दिनाँक 14.02.2025

थाना बिनौली में दाखिल लावारिस व एम0वी0एक्ट के कुल 18 वाहनों की नीलामी
(कीमत 1 लाख 6 हजार रुपये) के सम्बन्ध में-

कार्यवाही

दिनाँक 14.02.2025 को मा0 न्यायालय बागपत के आदेशानुसार थाना बिनौली पर वर्ष 2019 से वर्ष 2024 तक के लावारिस व एम0वी0 एक्ट के वाहनों की नीलामी श्रीमान नायब तहसीलदार बडौत, निरीक्षक अपराध थाना बिनौली की उपस्थिति में की गई। उक्त नीलामी में जनपद बागपत व आस पास के जनपदों के कुल 20 कबाडियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 01 चार पहिया, 01 श्रीव्हीलर व 16 दो पहिया वाहनों कुल 18 वाहनों की नीलामी (कीमत 1 लाख 6 हजार रुपये) की गई।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 14.02.2025

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 35/25 धारा 108 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 20.01.2025 को थाना बडौत पर वादिया ने सूचना दी अभियुक्तों 1. सीटू, 2.महीपाल, 3.वासु, 4.आरव, 5. शालू व अन्य अज्ञात निवासीगण शाहमल कॉलोनी कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत द्वारा उसके पति वासू की हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक शाहमल कॉलोनी के पीछे कस्बा बडौत पर फेंक दिया है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के



आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 35/25 धारा 191(2)/ 191(3)/103(1)/238 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

नोट- उक्त अभियोग की विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर धारा 191(2)/191(3)/103(1)/238 बीएनएस का विलोप किया गया तथा धारा 108 बीएनएस की वृद्धि की गयी ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 35/25 धारा 108 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

अभियुक्त का नाम पता:

जयपाल सिंह पुत्र स्व0 रतनलाल निवासी शाहमल एन्क्लेव करबा व थाना बडौत जनपद बागपत । (अभियोग में महीपाल नाम से नामजद अभियुक्त)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-निरीक्षक अपराध श्री वीरेन्द्र सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 मौ0 आसिफ अली थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-का0 814 अमित नागर थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 4-का0 525 महेशचन्द थाना बडौत जनपद बागपत ।





प्रेस नोट

थाना चांदीनगर

दिनांक 14.02.2025

थाना चांदीनगर पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से कुल 24 पच्चे अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से कुल 24 पच्चे अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद हुई है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

कालू पुत्र बदले निवासी ग्राम मन्सूरपुर थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 24 पच्चे अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री युद्धवीर सिंह थाना चांदीनगर ।
- 2-है0का0 236 नरेन्द्र कुमार थाना चांदीनगर ।
- 3-है0का0 150 दिनेश कुमार थाना चांदीनगर ।



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक-14.02.2025

थाना रमाला पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी का नाम व पता-

मुस्तकीम पुत्र अब्दुल रहमान निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री केदार सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2-का0 1061 अनुराग थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 3-का0 963 प्रभात यादव थाना रमाला जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 14.02.2025

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने 02 वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारण्टी/ अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-रोहित उर्फ बोना पुत्र रदेश निवासी ग्राम बाघू थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-इमरान पुत्र श्याम सक्का निवासी ग्राम बाघू थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री दलजीत सिंह थाना सिंघावली अहीर ।
- 2-है0का0 613 नवीन कुमार थाना सिंघावली अहीर ।
- 3-है0का0 546 बिपिन सिरोही थाना सिंघावली अहीर ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना छपरौली

दिनांक 14.02.2025

थाना छपरौली पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारण्टी/अभियुक्तों का नाम व पता:-

- 1-यशवीर सिंह पुत्र जगमेर निवासी ग्राम बदरखां थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 2-काले पुत्र किशनलाल निवासी ग्राम बदरखां थाना छपरौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 श्री राहुल प्रताप सिंह थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 2-का0 227 अनिल डागुर थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 3-का0 597 प्रेम पाल थाना छपरौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनाँक 14.02.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

साबू उर्फ साबूद्दीन पुत्र अलीशेर निवासी ग्राम निरोजपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री मंजीत सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 168 गौरीशंकर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।